

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०।

पत्रांक:-5/1399/2022-5/30/2022 लखनऊ

विषय:-प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-4002/33-3-2022 दिनांक 24.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट (पी०डब्लू०एम०यू०) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अवगत कराना है कि एस०एस०जी०-2023 के दृष्टिगत तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० की अध्यक्षता में गठित STF (Special Task Force) द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रत्येक विकास खण्ड में पी०डब्लू०एम०यू० स्थापित किया जाना अत्यावश्यक एवं समयबद्ध है।

त्वरित गति से कार्यवाही किये जाने हेतु उचित होगा कि प्रत्येक विकास खण्ड की किसी ऐसी बड़ी ग्राम पंचायत का चयन किया जाये, जो विकास खण्ड के निकट हो, आवगमन में सुगमता हो एवं जिसमें स्थायी बाजार-हाट इत्यादि हो। ऐसी ग्राम पंचायत में योजनान्तर्गत एस०एल०डब्लू०एम० की धनराशि से निर्मित कराये जा रहे बड़े आकार के आर०आर०सी० शेड में अथवा उसके साथ जोड़कर पी०डब्लू०एम०यू० स्थापित किया जा सकता है। जिसमें उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक मशीन्स आदि लगाई जा सकती है तथा यदि मशीन्स आदि लगाने के लिये अतिरिक्त आवश्यकता हो तो योजनान्तर्गत पी०डब्लू०एम०यू० के लिये मात्राकृत अधिकतम रू० 16.00 लाख तक की मांग भी की जा सकती है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि जनपद अन्तर्गत सभी विकास खण्डों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट (पी०डब्लू०एम०यू०) स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ०प्र०।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं०), उ०प्र०।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ०प्र०।

मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ०प्र०।

11461/11/2022
11/2022 CDO

कृ० नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

दिनांक: 30 नवम्बर, 2022

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

30 NOV 2022

उ०प्र०
3835
6/12/22



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.